Title: Need to provide adequate compensation to the farmers of Nagpur whose land is being acquired for setting up of Special Economic Zone.

पूरे. महादेवराव शिवनकर (चिमूर): महोदय, देश में विशेष आर्थिक सहायता जोन में परिवर्तन किया गया है, लेकिन महाराष्ट्र में मल्टीमॉडल इंटर-नेशनल हब एयरपोर्ट नागपुर (मोहन पूकल्प) के अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन हैं, जिसमें किसानों की 4311 हेक्टेयर भूमि राज्य सरकार द्वारा अधिगृहित की जा रही हैं। इस भूमि का मुआवजा केवल 5 लाख रूपये पूति एकड़ दिया जा रहा है, जिसकी वजह से किसानों में बहुत असंतोÂष हैं। जमीन का बाजार भाव आज नागपुर के पास एक करोड़ रूपये एकड़ से भी ज्यादा हैं। केन्द्र सरकार के द्वारा इसे अनुमति दी गई हैं, ऐसा कहा जा रहा हैं। इस भूमि के अधिगृहण से कई किसान घर से बेघर हो जायेंगे एवं किसानों में आत्महत्याओं की घटनाएं बढ़ती ही जायेंगीं। किसानों की आत्महत्याएं तुंत रोकने हेतु बाजार भाव के हिसाब से, यानी कम से कम एक करोड़ रूपये पूति एकड़ के हिसाब से मोहान पूकल्प में किसानों को मुआवजा दिया जायें। इसके अलावा जिस किसान की जमीन अधिगृहीत की गयी हो, उसके परिवार से एक व्यक्ति को इस पूकल्प में एक साल के भीतर नौंकरी दी जायें।